

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक : एफ 17(15)खा.वि./न्याय/2010/लूज

जयपुर, ई-हस्ता. दिनांक

संशोधित आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक एफ 17(15)खा.वि./न्याय/2010 दिनांक 23.12.2024 राजकाज क्रमांक 12592996 के द्वारा जिला अलवर की तहसील रामगढ़, गोविन्दगढ़ एवं नौगांवा हेतु तहसील स्तरीय खाद्य सुरक्षा समिति हेतु गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन किया गया था। अतः उक्त तहसीलों हेतु पूर्व में चयनित गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन रद्द कर नवीन गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन निम्नानुसार किया जाता है:-

जिला अलवर

क्र. सं.	जिला	तहसील	नाम/पता
01	अलवर	गोविन्दगढ़	श्री राजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री बाबूलाल शर्मा, ग्राम मालपुर, तहसील गोविन्दगढ़, जिला अलवर, 9772286853
			श्री किशन लाल पुत्र श्री राम सहाय, वार्ड नम्बर 13, गोविन्दगढ़, जिला अलवर, 9351119151
			श्री अशोक कुमार मीणा पुत्र श्री रूडाराम मीणा, ग्राम खरसनकी, तहसील गोविन्दगढ़, जिला अलवर, 9610078366
			श्रीमती कांता बाई पत्नी श्री अर्जुन सिंह, ग्राम ईटका, तहसील गोविन्दगढ़, जिला अलवर, 9983097879
			श्री पप्पूराम गुर्जर पुत्र श्री हरलाल, ग्राम तालड़ा, तहसील गोविन्दगढ़, जिला अलवर, 9950466139
02	अलवर	रामगढ़	श्री महावीर पुत्र श्री रामकिशोर जैन, वार्ड नम्बर 05, तहसील रामगढ़, जिला अलवर, 9413272226
			श्री श्रीराम पुत्र श्री रामसहायक जाटव, ग्राम ढाढोली, तहसील रामगढ़, जिला अलवर, 8104641151
			श्री मामराज मीणा पुत्र श्री हरिसिंह, ग्राम मीणापुरा, तहसील रामगढ़, जिला अलवर, 9694965056
			श्रीमती बबीता पत्नी श्री भगवानदास, ग्राम नंगली मेढा, तहसील रामगढ़, जिला अलवर, 9982696271



		श्री राजाराम चौधरी पुत्र श्री अच्छाराम, ग्राम बाम्बोली, तहसील रामगढ़, जिला अलवर, 9610561232
03	नौगांवा	श्री धर्मचन्द पुत्र श्री कटअुराम, ग्राम नीकच, तहसील नौगांवा, जिला अलवर, 6376523865
		श्री चेताराम वर्मा पुत्र श्री जुम्माराम, ग्राम खोहडा करमाली, तहसील नौगांवा, जिला अलवर, 9982719907
		श्री भूपेन्द्र पाल पुत्र श्री रामसिंह, ग्राम नाहपुर खुर्द, तहसील नौगांवा, जिला अलवर, 7665666709
		श्रीमती बिन्दर कौर पत्नी श्री अमृतपाल सिंह, ग्राम तहसील नौगांवा, जिला अलवर, 9549531838
		श्री राजेश सैनी पुत्र श्री सुखराम सैनी, ग्राम तहसील नौगांवा, जिला अलवर, 8239336735

यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे। उपरोक्त सतर्कता समिति के मनोनित सदस्यों का कार्यकाल 02 वर्ष का होगा। यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

(पूनम प्रसाद सागर)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला सहायक, उपायुक्त एवं उपशासन सचिव (प्रथम/द्वितीय), खाद्य विभाग, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, अलवर, राजस्थान।
6. जिला रसद अधिकारी, अलवर को प्रेषित कर लेख है कि निर्देशानुसार संबंधित को दूरभाष पर सूचित करने एवं उनके संशोधित नाम अनुसार परिचय पत्र बनवाने इत्यदि अपेक्षित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
7. ए.सी.पी. खाद्य विभाग को भेजकर लेख है कि संबंधित को ई-मेल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
8. रक्षा पत्रिका।